Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2018 = 6.371, www.srjis.com
PEER REVIEWED JOURNAL, JAN-FEB, 2019, VOL- 6/49

भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की उपादेयता

डॉ0 धर्मेन्द्र कुमार वैश्य
असि0प्रोफेसर, शिक्षक–शिक्षा संकाय
आर0आर0पी0जी0 कॉलेज अमेठी।
E-mail-agraharidharmandra1@gmail.com

शोध–सार

मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का पारण व क्रियान्वयन देश के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह इसे परिवार, राज्य एवं केन्द्र की सहायता से पूरा करें। विश्व के सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं, जैसे अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने का निःशुक्ल एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अन्ततः 01 अप्रैल 2010 को एक वास्तविकता बन गया है। सन् 2002 में संविधान के 86वं संशोधन से शिक्षा पाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन् 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया। इस प्रकार अब भारत में 06–14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने के हकदार हैं।

बच्चे किसी भी देश के सर्वोच्च सम्पत्ति हैं। वे सम्भावित मानव संसाधन हैं। भारत 66 प्रतिशत के एक गरीब साक्षरता दर के रूप में अपनी रिपोर्ट 2007 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा दी गयी और जैसा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्ट 2009 में शामिल के साथ विश्व साक्षरता रैकिंग में 149 स्थान हैं। ''वास्तव में शिक्षा जो एक सम्वैधानिक अधिकार था शुरू में अब एक मौलिक अधिकार का दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ है, भारत के संविधान की शुरूआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छे 41 के तहत राजनीति निदेश सिद्धातों के तहत मान्यता दी गयी थी।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (त्ज्म्) 2009 की प्रमुख बातेंः–

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जिसमें संविधान के 86वं संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 21(क) जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है, के द्वारा राज्य को यह कर्तव्य सौंपा गया है कि वह भारत में 06–14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। शिक्षा अधिकार विधेयक को संसद ने 04 अगस्त 2009 को मंजूरी प्रदान की तथा 01 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार कानून लागू किया गया।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

कानून के अन्तर्गत बच्चों को अनिवार्य व निः शुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अनेक प्रावधान किये गये हैं, जिसमें शिक्षकों को नियुश्क्ति देने संबंधी प्रशिक्षण आवश्यक आधारभूत ढांचे का विकास निजी स्कूलों में बच्चों का प्रवेश देने संबंधी आरक्षण स्कूलों में मिड–मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास के लिए विशेष कदम उठाए गए हें।

इस कानून के अनुसार शिक्षा के दायरे से बाहर छूट गये करोंड़ों बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाना, हर बच्चे के पड़ोस में विद्यालय की व्यवस्था करना, प्रत्येक विद्यालय को आर0टी0आई में दिये गये मानक के आधार पर मान्यता लेने योग्य बनाना तथा मान्यता न होने पर दण्ड का प्रावधान पैरा शिक्षकों की नियुक्ति तथा नॉन फॉमेल स्कूलों पर पाबंदी, कानून में दिये गये मानक के आधार पर आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने योग्य व प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति तथा अप्रशिक्षित व अल्प वेतन भोगी अध्यापकों का प्रशिक्षित करने, फेल–पास प्रणाली से अलग बच्चों के लगातार सम्पूर्ण मूल्यांकन सीसीई आदि जैसे कदम तत्काल उठाने होंगे तथा साथ ही 75 प्रतिशत अभिभावकों एवं कुल संख्या का 50 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी वाली स्कूल प्रबंधन समितियों का जनतांत्रिक तरीके से गठन व संचालन तथा उनके द्वारा स्कूल के लिए विकास योजना बनाने व निगरानी जैसी प्रगतिशील योजनाएं तय की गयी हैं।

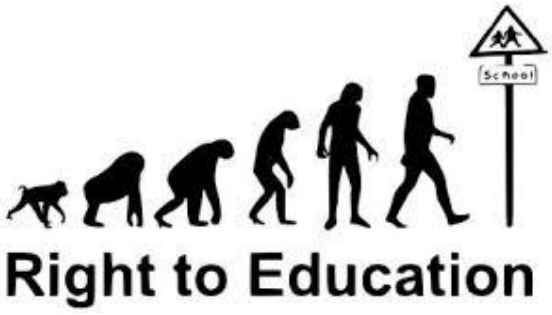

शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं
(Charecteristics of Right To Education):

- 06–14 वर्ष तक उक्त के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा।
- 06–14 वर्ष तक के लगभग 22 करोड़ बच्चों में से 92 लाख यानी 4.6 प्रतिशत अभी स्कूल नही जा पाते हैं जिनकी शिक्षा के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपये की 5 वर्षों में जरूरत होगी जिसमें 25000 करोड़ रूपये वित्त आयोग राज्यों को देगा।
- 06–14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं करवा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंध समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जायेगा।
- इन छात्रों को स्कूल में न तो फीस देनी होगी, न ही यूनिफार्म का, पुस्ताकें, ट्रांसपोर्टेशन या मिड–डे मील जैसी चीजों पर खर्च करना होगा।
- कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकेगा।
- सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
- सभी राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाकें का हर बच्चा स्कूल जाये।
- जिन स्कूलों का इन्फ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं हैं, उन्हें 3 वर्ष के अन्दर दुरूस्त करना होगा, बरना मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।
- इस कानून को लागू करने पर आने वाले खर्च को केन्द्र व राज्य सरकारें मिलकर उठायेंगी।
- शिक्षा के परिणामात्मक वृद्धि के साथ–साथ बालकों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

- इस अधिनियम के अन्तर्गत निजी ट्यूशन प्रवृत्ति को निषेधित किया गया है। शिक्षक द्वारा बालकों को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना नही दी जायेगी।
- विद्यालय पाठ्यक्रम के निर्माण व मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

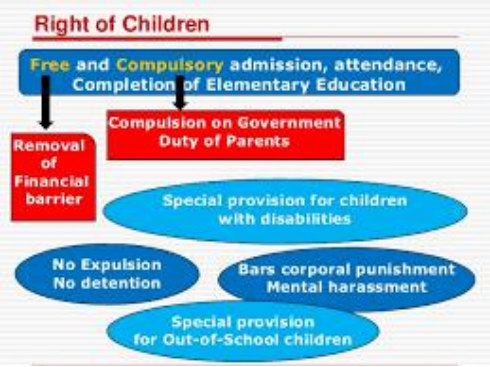

शिक्षा का अधिकार अधिनियम ;RTE) 2009 के सिद्धान्तः–

Principles of the Right to education Act (RTE)–2009

भारत देश में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान के लिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया है। यह पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है।

यह कानून प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अवसर और अधिकार देता है। इसके मुख्य पहलू इस प्रकार हैं–

- प्रत्येक बच्चें को उसके विकास क्षेत्र के एक कि0मी0 के भीतर प्राथमिक स्कूल और तीन कि0मी0 के अन्दर माध्यमिक स्कूल उपलब्ध होना चाहिए। निर्धारित दूरी पर स्कूल नहीं हो तो उसके स्कूल आने के लिए छात्रावास या वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- बच्चे को स्कूल में दाखिला देते समय स्कूल या व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई अनुदान नहीं मांगेगा, इसके साथ ही बच्चे या उसके माता–पिता या अभिभावक को साक्षात्कार देने के लिए मजबूर नहीं किया जायेगा।
- विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा की नियमिति स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
- किसी भी बच्चे को किसी भी लक्ष्य में (फेल करके) नहीं रोका जायेगा और आठ साल तक की षिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से नहीं हटाया जायेगा।
- स्कूलों में शिक्षकों और कक्षाओं की संख्या पर्याप्त मात्रा में रहेगी। हर 30 बच्चों पर एक शिक्षक, हर शिक्षक के लिए एक कक्षा और प्रिंसिपल के लिए अगल कमरा उपलब्ध करवाया जायेगा।
- कोई शिक्षक/शिक्षिका/निजी शिक्षण नहीं चलायेगा/चलायेगी।
- स्कूलों में लड़कियों और लड़कों के लि अलग–अलग शौचालय की व्यवस्था की जायेगी।
- किसी भी बच्चे को मानसिक या शारीरिक दण्ड नही दिया जायेगा।
- इस अधिनियम के तहत, शिकायत निवारण के लिए ग्राम स्तर पर पंचायत, कलस्टर स्तर पर क्लस्टर संसाधन केन्द्र (सीआरसी), तहसील स्तर पर तहसील पंचायत जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी की व्यवस्था है।

संविधान द्वारा प्रदत्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का मौलिक अधिकार–

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक राज्य है जिसमें लोगों के चतुर्मुखी विकास के लिए भारतीय नागरिकों को छः मूल अधिकार संविधान प्रदत्त है ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता का मूल अस्त्र है। शिक्षा जो एक सम्वैधानिक अधिकार था शुरू में अब तक मौलिक अधिकार दर्जा प्राप्त है। अधिकार की शिक्षा के लिए विकास इस तरह हुआ कि भारत के संविधान की शुरुआत में शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद–41 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के तहत मान्यता दी गयी थी। 2002 के संविधान 86वें संसोधन अधिनियम शिक्षा के अधिकार के रूप में पहचाना जाने लगा है अनुच्छेद 21ए. का सम्मिलित होना जिसमें कहा गया है ''राज्य के रूप में इस तरीके से विधि द्वारा निर्धारित कर सकते हैं जिसमें छः से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा।

सरकार ने अन्ततः सभी विसंगतियों को दूर करते हुए इस वर्ष पहली अप्रैल से शिक्षा का अधिकार अब 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है।

❖ **बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधानः**

1. अनिवार्य शिक्षा–सरकार का दायत्वि।
2. निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
3. सरकार स्थानीय–प्राधिकारी व माता–पिता का कर्तव्य।
4. विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व।
5. केन्द्र एवं राज्य सरकार दोनों की सहभागिता स्थापित करना। (55:45 के अनुपात में)
6. शिक्षा की गुणवत्ता में अनिवार्य सुधारं

' **<u>'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम की उपादेयता</u>**:–

1. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सभी निजी स्कूलों को स्कूल का निरीक्षण करके व संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मान्यता लेनी हैं। जिसमें गुणात्मक शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
2. शिक्षा सत्र 2011–12 प्रारम्भ होने से पहले सभी स्कूलों में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध समितियों के गठन हो जाने से इनमें 50 प्रतिशत अभिभावक व बाकी शिक्षक व जन प्रतिनिधियों के शामिल होने से शिक्षा का स्तर बढ़ेगा।
3. शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों में रटने की बजाये सीखने की ललक जगाना मुख्य उद्देश्य है।
4. 2011 की जन गणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर 74.04 है।
5. सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई को छोड़कर चुनाव व जगगणना जैसे कार्यों में न लगाई जाये।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

5. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये राज्य शिक्षा केन्द्र ने सत्र् 2011 –12 से प्रतिभा पर्व योजना प्रारम्भ की है। जिसमें निर्धारित दक्षताएं (90:) प्राप्त करने पर 500 एवं 80: दक्षता हासिल करने पर ढाई हजार रूपये व राज्यपाल द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।

' <u>शिक्षा का अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति</u>:–

- विद्यालय के क्रिया–कलापों का निरीक्षण करना।
- विद्यालय में आस–पास के सभी बच्चों का नामांकन एवं उनकी निरन्तर उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की अभिप्राप्तियों एवं व्यय का अनुश्रवण करना।
- विद्यालय में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करना एवं उनकी समृद्धि सुनिश्चित करना।
- विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना।
- विद्यालयों के कृत्यों के निर्वहन हेतु जो भी धनराशि प्राप्त हो उसे पृथक लेखा में रखा जायेगा एवं उक्त लेखा वार्षिक सम्परीक्षा हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

<u>21वीं सदी में सबके लिए शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु सुझाव</u>:–

इसके लिए निम्न सुझावों पर ध्यान देना होगा जो कि इस प्रकार से है–

1. अधिनियम का पालन करना केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नही है बल्कि सभी की सम्मिलित सोच एवं प्रयासों की आवश्यकता है। अतः इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष जागरूकता लाने की आवश्यकता है।
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रत्येक शिक्षक को प्रति सप्ताह 45 घंटे स्कूल में देने हैं। यह बिलम्ब से स्कूल आने और जल्दी वापस जाने पर सम्भव नहीं होगा। इसलिए शिक्षकों की सेवा शर्तों में संशोधन कर उन्हें गांव में रहने की शर्त जोड़नी होगी।
3. अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रबंध समितियों का गठन किया जायेगा। इन प्रबंध समितियों की मासिक या आधार पर नियमित बैठकें होनी चाहिए तथा इन बैठकों में शिक्षा के गुणात्मक सुधार और शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए।
4. हमारे देश में अधिकांश जनता अभी भी गांवों में निवास करती है इसलिए गांवों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक योजनाएं बनाई व लागू की जानी चाहिए।
5. विद्यालयों में, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल की सामान्य सुविधाओं और खेल कूद की सामग्री की उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है।
6. सामान्य रूप से शिक्षक, जन शिक्षक, संकुल शैक्षिक समन्वयक, विकास खण्ड शैक्षिक समन्वयक आदि की जिम्मेदारी लेने से कतराते हैं, इसलिए इन पदों पर कार्य करने के लिए कुछ विशेष मौडिक और अमैडिक प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है।
7. स्कूलों में शैक्षिक प्रौद्योगिकी (Educational Tehnology) और संचार व सम्प्रेषण तकनीक (Information and communication Technology ICT) का भरपूर उपयोग करके शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाना चाहिए। इससे सूचनाओं के आदान–प्रदान में लगने वाले समय की बचत होगी।
8. वर्तमान में शिक्षकों की सबसे बड़ी समस्या जो विलम्ब से आते हैं और जल्दी चले जाते हैं एवं बीच में स्कूल न आ करके भी उनका हस्ताक्षर हो जाना, ऐसी समस्याओं का निदान अति आवश्यक है।
9. सभी स्कूलों में समय–समय पर खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारियों की जांच होना अति आवश्यक है।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

10. अभी भी देश के 92 फीसदी स्कूल शिक्षा अधिकार कानून के मानकों पूरा नही कर रहे हैं। केवल 45 फीसदी स्कूल ही प्रति 30 बच्चों पर एक अध्यापक होने का अनुपात करते हैं। पूरे देश में अभी भी लगभग 7 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे प्राथमिक शिक्षा से बेदखल है। ''डाइस रिपोर्ट 2013–14'' के अनुसार शिक्षा के अधिकार कानून के मापदण्डों को पूरा करने के लिए अभी भी 12 से 14 लाख शिक्षकों की जरूरत है।
11. शिक्षकों को रोजाना बच्चों के लिए नये विषयों पर नये पाठ तथा सामग्री तैयार करनी चाहिए फिर बच्चों से कक्षा में सीधे सवाल–जवाब करके उनकी समझ की परख करनी चाहिए।

निष्कर्ष:–

शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने संबंधी कानून के लागू होने से स्वतंत्रता के छः दशक पश्चात् बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का सपना साकार हुआ है। यह कानून 01 अप्रैल 2010 से लागू हो गया। इसे बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 नाम दिया गया है। इस अभिकथन के लागू होने से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने नजदीकी विद्यालय में निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का कानूनी अधिकार मिल गया है। इस अधिनियम की खास बात यह है कि गरीब परिवार के बच्चे, जो प्राथमिक शिक्षा से वंचित हैं, के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हर 60 बच्चों को पढ़ाने के लिए कम से कम दो प्रशिक्षित अध्यापक होंगे। जिन स्कूलों में संसाधन नही हैं, उन्हें तीन साल के अन्दर सुधारा जायेगा और साथ ही तीन कि0मी0 क्षेत्र में एक विद्यालय की स्थापित किया जायेगा। इस कानून के लागू करने पर आने वाले खर्च केन्द्र सरकार (55 प्रतिशत) और राज्य सरकार (45 प्रतिशत) मिलकर उठायेगे।

अतः इस दिशा में शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र एवं आम जनता से आपसी तालमेल बैठाया गया तो वह दिन दूर नही जब हम शत–प्रतिशत साक्षर होंगे।

संदर्भः

पाठक, पी0डी0(2014) : समसामयिक भारतीय शिक्षा, अग्रवाल पलिकेशन्स, आगरा।

अग्रवाल, जे0सी0 (2015) : शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक एवं आर्थिक आधार, अग्रवाल प्रकाशन आगरा।

मदान, पूनम (2015) : भारत में शिक्षा व्यवस्था विकास, अग्रवाल प्रकाशन आगरा।

मदान, पूनम एवं अन्य (2015) : उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, अग्रवाल प्रकाशन आगरा।

मिश्रा, डॉ0 आर.एम.(2016) : शिक्षा तकनीक एवं मूल्यांकन, आलोक प्रकाशन, लखनऊ।

Copyright © 2017, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies